न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 34/2018
आर.सी.एम.एस. : 2018/00393

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मिनीदेवी पुत्री जसाराम जाति घांची निवासी सोजत तह.सोजत जिला पाली		1. घेवरचंद तथाकथित गोद पुत्र जसाराम जाति घांची निवासी सोजत तह.सोजत जिला पाली 2. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत तहसील सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18-7-2023

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम सोजत चक प्रथम के पारित नामान्तरकरण संख्या 3955 दिनांक 16.05.2016 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 2499,2509,2503,2511 कुल कीता चार रकबा 0.33 है., 0.17 है., 0.24 है., 0.05 है. कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2481,2488,2493 कुल कीता 3 रकबा 0.10 है., 0.04 है., 0.03 है. कुल रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में सुगनाई पत्नी जस्साराम के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता जस्साराम के नाम रकर्ड में दर्ज थी। जस्साराम के वैध वारिस अपीलांट मिनीदेवी व सुगनाई दो है। इसलिए अपीलांट का उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा व सुगनाई का 1/12 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट घेवरचंद के नाम दर्ज करने का एक मात्र आधार बख्शीश बताया है जबकि तथाकथित बख्शीश सुगनाई अकेली को करने का कानूनन हक नही था और न ही घेवरचन्द का नाम अकेला दर्ज हो सकता था क्योंकि सम्पूर्ण आराजी जसाराम के नाम की थी ओर जसाराम के देहान्त पश्चात कानूनी वारिस सुगनाई के साथ अपीलांट का भी उक्त भूमि में बराबर हक था। घेवरचन्द ने अपीलांट की माता के वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए अपने पक्ष में उप पंजीयक सोजत के यहां बख्शीशनामा करवाकर नामान्तरकरण संख्या 3955 के द्वारा अपीलाधीन सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी। अपीलांट जस्साराम व सुगनाई की जाईन्दा पुत्री है। इसलिए अपीलांट के हिस्से की पैतृक भूमि को हस्तान्तरण करने का अधिकार सुगनाई को नही था। अपीलांट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3955 पंजीबद्ध दस्तावेजो के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपीलांट द्वारा विवादित कृषि भूमि में अपने खातेदारी हक की घोषणा का वाद संख्या 100/2016 माननीय सहायक कलेक्टर न्यायालय में पेश किया है जो विचाराधीन है तथा हकूतर्कनामा व बख्शीशनामा को निरस्त करवाने का वाद संख्या 9/2016 माननीय अपर सेशन

अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय सोजत में पेश किया है जो विचाराधीन है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील काबिल खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील भूमि सुगनाई बेवा जसाराम के नाम थी, जिस भूमि को घेवरचंद अपने आपको जसाराम का गोदी पुत्र बताकर खातेदारी जरिये बक्शीश दर्ज करवाई जबकि अपीलांट सुगनाई की सगी जाईन्दा पुत्री होने व मृतक जसाराम की वारिस होने से इस जमीन में अपीलांट का भी नाम दर्ज किया जाना था लेकिन दर्ज नही किया गया। बख्शीश सुगनाई अकेली को करने का कानूनन हक नही था और न ही घेवरचंद का नाम अकेला दर्ज करा सकती थी क्योंकि सम्पूर्ण आराजी जसाराम के नाम की थी और जसाराम के देहान्त के पश्चात कानूनी वारिस होने से सुगनाई के साथ ही अपीलांट का भी बराबर हक अधिकार था, इसलिए म्यूटेशन संख्या 3955 अवैध है। अपीलांट सुगनाई की जायंदा पुत्री है इसलिए इस म्यूटेशन 3955 से व्यथित है इसलिए अपील पेश करने का अधिकार है। इसके साथ ही किसी पक्षकार के हित प्रभावित होते है तो वह आदेश को चुनौति दे सकता है जिसमें म्याद भी जरूरी नही है। अपीलांट ने कोई हकतर्कनामा निष्पादित नही किया है न ही सुगनाई ने घेवरचंद को गोद लिया है। सभी दस्तावेज रेस्पोडेन्ट ने फर्जी तैयार किये है जो दस्तावेज पेश किये है जिसमे दिनांक 27.9.1999 को मिनीदेवी का स्टाम्प हेमाराम भाटी ने खरीद किया है तथा आई.डी. आधार भी कुछ नही है। सहमति पत्र माता के नाम किया है जिसमें अंगूठे के निशान अपीलांट के नही है। काश्तकारी अधिनियम में हकतर्क का प्रावधान नही है। अपीलांट द्वारा कोई हकतर्क किया ही नही है तो उसकी बख्शीश कैसे हो सकती है। बख्शीशनामा मान्य नही है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करावे व जैर अपील म्यूटेशन संख्या 3955 को निरस्त फरमावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2008(2) पेज 850, आरआरडी 1994 पेज 215,217,185, आरआरडी 1992 पेज 17,21, आरआरडी 1990 पेज 477,479, आरआरडी 1993 पेज 43, आरआरडी 1989 पेज 45, आरबी 1996(3) पेज 11 एवं आरएलडब्ल्यू 1997(1) राज. पेश किये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 3955 पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट ने अपने हक हिस्से की भूमि का हकतर्कनामा उप पंजीयन कार्यालय सोजत में उपस्थित होकर अपनी माता सुगनाई देवी के पक्ष में हक त्याग कर दिया था जिसमें उक्त भूमि की एकमात्र मालिक सुगनाई हुई तथा सुगनाई ने 16 वर्ष बाद अपने हक अधिकारो का उपयोग करते हुए बक्शीशनामा रेस्पोडेन्ट घेवरचन्द के पक्ष में निष्पादित करवाया जिसके आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन भूमि की मालिक सुगनाई है जिसका बक्शीशनामा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 घेवरचंद के पक्ष में सुगनाई ने निष्पादित करवाया जिसका सुगनाई को पूर्ण हक अधिकार था। अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अपीलांट ने बक्शीशनामा को रद्ध कराने हेतु वाद संख्या 9/2016 माननीय अपर सेशन न्यायालय सोजत में दायर करवाया है जो विचाराधीन है एवं खातेदारी हक की घोषणा का वाद संख्या 100/2016 माननीय सहायक कलेक्टर न्यायालय में पेश किया है वो वाद भी विचाराधीन है। सुगनाई ने अपने हक अधिकारो का उपयोग करते हुए बक्शीशनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 घेवरचंद के पक्ष में निष्पादित करवाया जिसके आधार पर तहसीलदार सोजत द्वारा जैर अपील नामान्तरण संख्या 3955 नियमानुसार भरा गया है जो सही है। अपीलांट द्वारा माननीय अपर सेशन न्यायालय सोजत में हकतर्क निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया वाद संख्या 9/2016 विचाराधीन है जब तक माननीय न्यायालय से उक्त वाद में निर्णय पारित नही हो जाता तब तक हकतर्कनामे को फर्जी नही कह सकते है। अपीलांट के अंगूष्ठ निशान की एफ.एस.एल.रिपोर्ट को माननीय अपर सेशन न्यायालय सोजत एवं माननीय उच्च

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)
जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जोधपुर ने साक्ष्य में ग्राहय नही माना है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021(2) पेज 851, आरआरटी 2021(2) पेज 1250, आरआरटी 2019(1) पेज 108, आरआरटी 2013(2) पेज 1252, आरआरटी 2011(1) पेज 421, आरआरटी 2012(2) पेज 1299, आरआरटी 2011(1) पेज 614 पेश किये।

विद्धान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं दौराने बहस प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट मिनीदेवी जस्साराम की जाईन्दा पुत्री है एवं सुगनाई जस्साराम की पत्नी व अपीलांट की माता है। जस्साराम के दिनांक 26.7.1986 को फौत होने के पश्चात् सुगनाई के नाम अपीलाधीन भूमि में 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट ने दिनांक 27.7.1999 को कोई हकतर्कनामा निष्पादित नही किया है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत हकतर्कमाना का कोई प्रावधान भी नही है। अतः अपीलांट का हिस्सा माता सुगनाई को रस्पोडेन्ट के पक्ष में बख्शीश करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। बख्शीशनामे के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण काबिल खारिज है। उक्त सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2008(2) पेज 850, आरआरडी 1994 पेज 215,217,185, आरआरडी 1992 पेज 17,21, आरआरडी 1990 पेज 477,479, आरआरडी 1993 पेज 43, आरआरडी 1989 पेज 45, आरबी 1996(3) पेज 11 एवं आरएलडब्ल्यू 1997(1) राज. प्रस्तुत किये है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि बख्शीशनामा विधिनुसार निष्पादित किया है तथा पंजीबद्ध दस्तावेजो के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही की गई है। अपीलांट ने माननीय अपर सेशन न्यायालय सोजत में हकतर्कनाने को निरस्त करवाने हेतु वाद संख्या 9/2016 एवं खातेदारी हक अधिकार की घोषणा हेतु सहायक कलक्टर न्यायालय सोजत में दावा संख्या 100/2016 दायर करवाया हुआ है उक्त दोनो वाद विचाराधीन है।

अपीलांट का अपीलाधीन भूमि में विधिक हक अधिकार बनता है अथवा नही? यह निर्णय अपीलांट द्वारा माननीय अपर सेशन न्यायालय सोजत में विचाराधीन वाद संख्या 9/2016 एवं माननीय सहायक कलेक्टर न्यायालय सोजत में विचाराधीन वाद संख्या 100/2016 में पारित निर्णय अनुसार तय होगा। प्रकरण में मूल विवाद की विषयवस्तु हकतर्कनामा है जिसके आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण प्रश्नगत है। उक्त हकतर्कनामे को अपीलांट द्वारा माननीय अपर सेशन न्यायालय में चुनौति दी है जो वर्तमान में विचवाराधीन है। विधि का सुष्पष्ट सिद्धांत है कि नामान्तरकरण मात्र सरसरी कार्यवाही है जिससे हक अधिकारो का निर्धारण नही होता है। प्रकरण में हक अधिकारो के संबंध में सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण सरसरी कार्यवाही चलने योग्य नही रहती है। लिहाजा प्रश्नगत अपील में किसी प्रकार का निर्णय किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील को माननीय अपर सेशन न्यायालय सोजत में विचाराधीन वाद संख्या 9/2016 में होने वाले निर्णय के अध्यधीन रखते हुए नामान्तरकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली